उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-9/2026/I/1313244/2026-10-24001(002)/1/2024-3-
लखनऊ : दिनांक : 29 अप्रैल, 2026

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतनमान रुपये 56100-177500, पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान करते हुए, उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर पदोन्नति के पद/ग्रेड वेतन में कार्यभार ग्रहण करने की श्री राज्य पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्रमांक	नाम	क्रमांक	नाम
1	श्री नरेन्द्र कुमार	11	श्री संजय कुमार
2	श्री कमल नारायन सिंह	12	श्री जगजीवन प्रसाद
3	श्री प्रवीन प्रसाद सिन्हा	13	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
4	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	14	श्री अरुण कुमार सिंह
5	श्री श्याम बहादुर यादव	15	श्री अजय कुमार शुक्ल
6	श्री महेन्द्र प्रसाद	16	श्री शशिभूषण प्रसाद
7	श्री राम प्रकाश सिंह	17	श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय
8	श्री राज बहादुर	18	श्री लालधर प्रसाद जैसवार
9	श्री दिनेश प्रताप सिंह सचान	19	श्री कमलेश कुमार
10	श्री टुनटुन यादव		

2- उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3- उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर, उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) सम्बन्धित जिलाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उप सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-90(4)/63/पी/एस-1(5)/2025-26, दिनांक 08.04.2026 के क्रम में।

(5) सम्बन्धित उप निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0।

(6) सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

(7) सम्बन्धित पदोन्नत अधिकारी।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।